आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/09/2012	**सारण समाहरणालय, छपरा** **न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आंगनबाड़ी अपील सं0 23/2012** **राबिया खातून बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आंगनबाड़ी अपील सं0 25/2012** **नूरजहाँ बेगम बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** दोनों मामले एक ही तरह के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निर्गत आदेश से संबंधित होने के कारण एक साथ सुने गए। दोनों पक्षों को सुना। अपीलकर्त्ताओं का पक्ष है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मढ़ौरा के प्रतिवेदन के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्र सं0 85 की सेविका एवं सहायिका को अवैधानिक तरीके से ज्ञापांक 134/मु0 दिनांक 09/06/2012 द्वारा चयन मुक्त कर दिया गया। दिनांक 13/03/2012 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण के क्रम में मढ़ौरा परियोजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र सं0 85 कार्यावधि में बंद पाया था। सेविका का कहना है कि तबियत खराब होने के कारण वह सहायिका को केन्द्र संचालन का भार सौंपकर चिकित्सक के पास चली गई। तकनीकी जानकारी के अभाव में सहायिका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाई। दोनों मामलों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सेविका एवं सहायिका के विरुद्ध अन्य कोई गड़बड़ी नहीं पायी गयी। मात्र एक दिन की आकस्मिक अनुपस्थिति के आधार पर चयन मुक्त करने की अनुशंसा वैधानिक रूप से अप्रत्यानुपातिक एवं अन्यायपूर्ण है। अतः दोनों मामलों में सेविका एवं सहायिका को चयन मुक्त करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उन्हे बहाल किया जाता है। आदेश की प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को अनुपालनार्थ भेज दी जाए। वाद निष्पादित। लेखापित एवं संशोधित जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।	